मा0 मंत्री जी पशुधन, लघु सिंचाई एवं मत्स्य विभाग,उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एवं मा0 राज्य मंत्री जी पशुधन की विशिष्ट उपस्थिति में दिनांक– 09.01.2018 को समय अपरान्ह 01.00 बजे सचिवालय स्थित तिलक हाल में विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्तः–

दिनांक–09.01.2018 को समय 1.00 बजे अपरान्ह मा0 मंत्री जी पशुधन,लघु सिंचाई एवं मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित तिलक हॉल में विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में निम्न अधिकारीगणों ने प्रतिभाग किया–

1. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव, पशुधन,(1,2 एवं 03) उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग,उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, (रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पशुधन विकास परिषद, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. संयुक्त निदेशक, (रोग नियन्त्रण/प्रशासन), मुख्यालय।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. अपर निदेशक, ग्रेड–1, (गोधन विकास/नियोजन/कुक्कुट),मुख्यालय।
8. वित्त नियन्त्रक,मुख्यालय।
9. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. संयुक्तनिदेशक,(नियोजन/इपीडी/मानकीकरण/कुक्कुट/न्यूट्रीशन/रजिस्ट्रार/गौशाला),मुख्यालय।
11. उप निदेशक, (लघु पशु/डास्प/नियोजन/कुक्कुट)/पशुधन विकास)मुख्यालय।
12. उप सचिव,पशुधन,उ0प्र0शासन,लखनऊ।
13. अनु सचिव,पशुधन,उ0प्र0 शासन,लखनऊ।
14. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
15. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी पशुधन, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।

प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 मंत्री जी पशुधन,लघु सिंचाई एवं मत्स्य विभाग तथा मा0 राज्य मंत्री जी पशुधन,महोदय का स्वागत किया गया एवं मा0 पशुधन मंत्री जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

कार्यवृत्त

मा0 मंत्री जी पशुधन, लघु सिंचाई एवं मत्स्य विभाग ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारीगणों को नववर्ष की बधाई देते हुये निम्न सुझाव दिये गये :–

1. मा0 पशुधन मंत्री जी द्वारा वर्तमान में आवांरा/अन्ना पशुओं से कृषकों की फसल बर्बाद हो रही है,के विषय पर चर्चा करते हुए अवगत कराया गया कि प्रदेश सरकार के लिये यह एक गम्भीर विषय है,जिसका समाधान किया जाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। अधिकारीगण अपने–2जनपदों के जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त से सम्पर्क करते हुए इसका समाधान निकालें। इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि जनपद फिरोजाबाद,कानपुर तथा झांसी में इस प्रकरण पर अच्छे कार्य किये जा रहे हैं। उसी तर्ज पर जनपद स्तरीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य योजना बनाकर निदेशक प्रशासन एवं विकास के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करें।**(कार्यवाही संयुक्त निदेशक (गौशाला)**

2. **प्रमुख सचिव, महोदय द्वारा फेस–टू फेस चर्चा/समीक्षा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की बैठक होनें से फील्ड का आउटपुट उभर कर आता है तथा आवांरा पशुओं**

के बधियाकरण करने पर भी जोर दिया गया। जिन मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों की बधियाकरण में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति कम रही को लक्ष्य पूर्ति करने हेतु सचेत किया गया। बैठक में उपस्थित मण्डलीय अधिकारियों एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा बधियाकरण के लक्ष्य पूर्ति के सम्बन्ध में हो रही कठिनाईयों की स्थिति से अवगत कराते सुझाव दिया गया कि यदि,बधियाकरण हेतु पशुपालकों से ली जाने लेवी निःशुल्क कर दी जाय तो बधियाकरण के लक्ष्य की पूर्ति करने में कठिनाई नहीं होगी। उक्त सुझाव पर मा0 मंत्री जी द्वारा बधियाकरण में ली जाने वाली लेवी को निःशुल्क करने पर सहमत होते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा बधियाकरण करने हेतु नयी तकनीक पर आधारित मशीन की मांग की गयी। जिस पर निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र ने सभी अधिकारियों से मशीन क्रय संबंधी मांग पत्र दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। पुनः मा0 पशुधन मंत्री जी ने बधियाकरण के सम्बन्ध में समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2 एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को निर्देश दिया कि इस समस्या पर ज्यादा ध्यान दिया जाय। (कार्यवाही संयुक्त निदेशक रोग नियन्त्रण/मु0का0का0अधि0यू0पी0एल0डी0बी0)

3. बैठक में मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदों में अनाधिकृत रूप से मेडिकल स्टोरों के माध्यम से फर्जी स्रोतों से वीर्य स्ट्राज की बिक्री हो रही है जिससे राज्य पशु प्रजनन नीति का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। प्रमुख सचिव, महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश ब्रीडिंग एक्ट पर कानून बनाने के लिए मा0 मंत्री जी से अनुरोध किया गया। मा0 मंत्री जी द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि ब्रीडिंग एक्ट पर कानून का प्रस्ताव कैबिनेट मींटिंग में लाया जायेगा और इसे जल्द से जल्द पास कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश ब्रीडिंग एक्ट में कम से कम 05 साल की सजा का भी प्रावधान रखा जाये।
(कार्यवाही अपर निदेशक(गोधन) मुख्यालय।

4. प्रमुख सचिव महोदय द्वारा उपस्थित समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि एस0पी0सी0ए0,प्रादेशिक जीव कल्याण जन्तु बोर्ड के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश/निदेशक महोदय के आदेश का पालन करते हुए सदस्यों को नामित करें तथा नोटशीट पर आख्या बनाकर जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करके अनुमोदन प्राप्त कर अभिलेख निदेशक महोदय एवं शासन को एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही संयुक्त निदेशक गौशाला)

5. समीक्षा बैठक में वर्ष 2017–18 हेतु आवंटित बजट के सापेक्ष बस्ती,लखनऊ,मिर्जापुर, चित्रकूटधाम,मुरादाबाद,देवीपाटन,अलीगढ़,बरेली,एवं आजमगढ़,मण्डल की आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय पूर्ति का प्रतिशत कम रहा है,जिसके लिये सम्बन्धित अ0निदेशक ग्रेड–2 को सचेत करते हुए आवंटित बजट का व्यय समयान्तर्गत वित्तीय नियमों के अनुरूप किये जाने के निर्देश दिये गये।

इसी प्रकार विभाग द्वारा संचालित प्रक्षेत्रों हेतु आवंटित बजट के सापेक्ष प्रक्षेत्र प्रबन्धक,सैदपुर–ललितपुर,उप निदेशक,(प्रक्षेत्र)महानगर,लखनऊ एवं मुख्य तकनीकी अधिकारी (क्षेत्रप्र0)चकगंजरिया,लखनऊ तथा अन्य संस्थाओं,डी0एफ0एस0,केन्द्र,चकगंजरिया,स्थित रहमानखेड़ा, लखनऊ,खीरी एवं हापुड की व्यय पूर्ति का प्रतिशत कम है,जिसके लिये सम्बन्धित प्रक्षेत्र अधीक्षक/प्रक्षेत्र प्रबन्धक/उप निदेशक(प्रक्षेत्र) महानगर लखनऊ एवं सम्बन्धित संयुक्त निदेशक को सचेत करते हुए आवंटित बजट का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप किये जाने के निर्देश दिये गये।

वर्ष 2017–18 में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद बदायू,मैनपुरी,लखनऊ, हमीरपुर,कासगंज,फिरोजाबाद,सीतापुर,औरइया,रायबरेली,संतरविदासनगर(भदोही),हापुड़, महराजगंज,श्रावस्ती,बिजनौर एवं बलरामपुर,की व्यय पूर्ति का प्रतिशत कम है,जिसके लिये सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को सचेत करते हुए आवंटित बजट का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही वित्त नियन्त्रक/सम्बन्धित योजनाधिकारी–मु0एवं सम्बन्धित मु0 प0चि0अ0)

6. निदेशक प्रशासन एवं विकास द्वारा समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बैठक में कृ0ग0 के अनुश्रवण हेतु नया प्रारूप उपलब्ध कराया गया है उस पर दिसम्बर,2017 तक की आख्या एवं उसके आगे के माहों की प्रगति का विवरण इसी प्रारूप पर अपर निदेशक (गोधन)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी यू0पी0एल0डी0बी0 को ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। विभागीय कार्यक्रमो के अन्तर्गत यथा,टीकाकरण,बधियाकरण,चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष बस्ती,मिर्जापुर,आजमगढ़,इलाहाबाद, गोरखपुर,अलीगढ़,मेरठ ,चित्रकूटधाम, कानपुर, झांसी,सहारनपुर,मुरादाबाद,आगरा एवं लखनऊ मण्डल की पूर्ति का प्रतिशत कम रहा है,जिसके लिये सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड–2 को सचेत करते हुए आवटित लक्ष्य के अनुरूप पूर्ति किये जाने के निर्देश दिये गये।

इसी प्रकार टीकाकरण,बधियाकरण,चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद–बस्ती,मिर्जापुर,आजमगढ़,इलाहाबाद,गोरखपुर,प्रतापगढ़,कासगंज, फतेहपुर,कुशीनगर,बलिया,फरूर्खाबाद,मऊ,महराजगंज,सोनभद्र,अलीगढ़,मेरठ,चित्रकूट,शा0पुर, कानपुरनगर,सिद्धार्थनगर,वाराणसी,संतरविदासनगर(भदोही)बलरामपुर,पीलीभीत,बिजनौर, चन्दौली,झांसी,गौतमबुद्धनगर,बरेली,फिरोजाबाद,बांदा,कानपुरदेहात,ललितपुर,गोण्डा,मुरादाबाद, महोबा,कौशाम्बी,हमीरपुर,रामपुर,मथुरा,सम्भल,जालौन,मु0नगर,जौनपुर,मैनपुरी,सहारनपुर,देवरिया, अमेठी,हरदोई,उन्नाव,रायबरेली एवं सीतापुर की पूर्ति का प्रतिशत कम रहा है,जिसके लिये सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को सचेत करते हुए आवंटित लक्ष्य के अनुरूप पूर्ति किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही सम्बन्धित मु0प0चि0अधि0/अपर निदेशक (गोधन) एवं संयुक्त निदेशक रो0नि0)

7. निदेशक (रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक–15.03.2018 से प्रदेश में खुरपका–मुॅहपका योजना का 22वां चरण प्रारम्भ किया जायेगा,जिसकी तैयारी करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। टीकाकरण हेतु जिन जनपद में जो भी वैक्सीन अवशेष रह गयी हो,का टीकाकरण अविलम्ब करा दिया जाय तथा प्रगति का विवरण इस माह के प्रगति प्रतिवेदन में इंगित कर दें। आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष जिन जनपदों में टीकाकरण कम हुआ है, वह जनपद,टीकाकरण का कार्य पूर्ण कर लक्ष्य पूर्ति करना सुनिश्चित करें।(कार्यवाही संयुक्त निदेशक(रो0नि0/सम्बन्धित मु0प0चि0अ0)

8. प्रमुख सचिव महोदय ने समस्त उपस्थित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन अधिकारियों द्वारा संचालित योजनाओं में आवंटित बजट का उपभोग नहीं किया गया है, को दिनांक–20.01.2018 तक सभी मदों में आवंटित धनराशि को नियमानुसार व्यय कर लें तथा समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2 दिनांक–22.01.2018 के बाद अपने मण्डल के समस्त जनपद के व्यय/स्थापना से सम्बन्धित अभिलेखों को किसी भी कार्य दिवस में सत्यापन करेंगें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय व शासन को अवगत करायें। यदि उपरोक्त प्रयासों के बावजूद आवंटित बजट का उपभोग किया जाना सम्भव न हो तो आवंटित धनराशि का तत्काल समपर्ण प्रेषित कर दें,अन्यथा की स्थिति में उसका समुचित उत्तदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

जिन जनपदों में विभिन्न मदों में उपलब्ध बजट का व्यय नहीं हुआ है वे कृपया दिनांक 20.01.2018 तक सभी मदों में आवंटित धनराशि का नियमानुसार व्यय कर लें तथा समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2दिनांक–22.01.2018 के बाद अपने मण्डल के समस्त जनपद के व्यय/स्थापना से सम्बन्धित अभिलेखों को किसी भी कार्य दिवस में सत्यापन करेंगें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय व शासन को अवगत करायेंगे।

(कार्यवाही सम्बन्धित अपर निदेशक,ग्रेड–2/सम्बन्धित मु0 प0 चि0अ0/वित्त नियन्त्रक)

9 **मा0पशुधन मंत्री जी/राज्य मंत्री जी एवं प्रमुख सचिवपशुधन महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन पशु चिकित्सा सेवा के अधिकारियों को प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0की देयता हो गयी को तत्काल ए0सी0पी0अनुमन्य करायी जाय तथा जिनके प्रस्ताव अभी तक शासन को नहीं प्रेषित किये गये है,समेकित रूप से प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निदेशक, प्रशासन एवं विकास व संयुक्त निदेशक(प्रशा0) को निर्देशित किया गया। पशु चिकित्साविदों को एन0पी0ए0 दिये जाने के सम्बन्ध में व्ययभार की सूचना तत्काल शासन को प्रेषित जाने हेतु उक्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया तथा विभाग को टेक्नीकल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य पूर्ण प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।**

समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में विभागीय भूमि पर अतिक्रमण न होने दें तथा यदि कहीं पर निर्माण की आवश्यकता है तो तद्नुसार कार्यवाही करते हुए आगणन तैयार कर निदेशक महोदय को प्रेषित करें।

(कार्यवाही संयुक्त निदेशक रोग नियन्त्रण/प्रशा0)

10. प्रमुख सचिव महोदय द्वारा बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवाओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी वाहनो का प्रयोग,योजना के संचालन में ही करें। कतिपय मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा वाहनों का प्रयोग अन्य विभागों के कार्यो के निष्पादन में कराया जाता है,जिससे विभागीय/शासकीय कार्य बाधित होता है। प्रमुख सचिव महोदय, द्वारा उक्त प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

(कार्यवाही संयुक्त निदेशक(रोग नि0)

11. प्रमुख सचिव महोदय, द्वारा अवगत कराया गया कि कामधेनु योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय हो चुका है,शीघ्र ही शासनादेश जारी किया जायेगा,की स्थिति से अवगत कराया गया जिसके अनुसार शतप्रतिशत/पचास प्रतिशत पशु क्रय पूर्ण हो चुकी इकाईयों के लाभार्थियों के ब्याज की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(कार्यवाही समस्त मु0प0चि0अ0/अपर निदेशक(गोधन)

12. प्रमुख सचिव महोदय, द्वारा निर्देशित किया गया कि विभाग की योजनायें जो प्रासंगिक नहीं है उन्हें समाप्त किया जाय तथा अम्ब्रेला के रूप में योजनाओं को सीमित करनेकी कार्यवाही की जाय।**(कार्यवाही अपर निदेशक (नियोजन)/वित्त नियत्रक–मुख्यालय)**

13. प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि,डिजीज फ्री–जोन की स्थापना योजना अन्तर्गत प्रदेश को मुहपका–खुरपका रोग से मुक्त घोषित कराने हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार कार्यवाही की जाय एवं यह भी स्पष्ट किया जाय कि अमुक क्षेत्र में एफ0एम0डी0का आउट ब्रेक विगत तीन वर्षो में नहीं हुआ है।सम्बन्धित योजनाधिकारी प्रारूप विकसित कर सूचना प्राप्त करने के उपरांत तीन माह में सूचना शासन को प्रेषित करें।

(कार्यवाही समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/संयुक्त निदेशक(रो0नि0)

14. वित्त नियन्त्रक मुख्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में काफी संख्या में विभागीय/ए0जी0 आडिट प्रस्तर लम्बित चल रहें है। उनके निस्तारण हेतु मांगी गयी आख्या जनपद/मण्डल स्तर पर लम्बित है,को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा वर्ष 2017–18 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष जिन मदों में व्यय किया जाना सम्भव नहीं है,को यथाशीघ्र समर्पित कर दिया जाय तथा पेंन्शन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही वित्त नियन्त्रक–मुख्यालय/संयुक्त निदेशक प्रशासन)

अन्त में प्रमुख सचिव महोदय जी द्वारा मा0 मंत्री जी/राज्य मंत्री जी पशुधन,को धन्यवाद, ज्ञापित करते हुए पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से नव वर्ष की शुभ कामनाओं की हार्दिक बधाई देते हुए बैठक के समापन की घोषणा की गयी।

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक–915/नियोजन/समीक्षा–बैठक/2017–18 दिनांक 17.1.18

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, पशुधन मंत्री जी उ0प्र0 सरकार,लखनऊ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी पशुधन, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, (रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उ0प्र0पशुधन विकास परिषद,लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक–मुख्यालय।
8. संयुक्त निदेशक(प्रशा0) मुख्यालय।
9. अपर निदेशक ग्रेड–1(गोधन/नियोजन/कुक्कुट) मुखालय।
10. अपर निदेशक, ग्रेड–2 बी0पी0संस्थान,लखनऊ।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त प्रशासनिक अधिकारी–मुख्यालय
14. समस्त योजनाधिकारी,मुख्यालय।
15. श्री नवीन गुप्ता,कम्प्यूटर सुपरवाइजर,मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करते हुए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के ई–मेल आईडी पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

5